21. NEPA Ltd. (NEPA)
22. Engineering Projects (India) Ltd. (EPI)
23. Tvre Corporation of India Ltd. (TCIL)

उत्तर प्रदेश के लिए विकास केन्द्र

830. **श्री मनोहर कांत ध्यानी** : क्या उद्योग मंत्री 8 जून, 1998 को राज्य सभा में अंतारांकित प्रश्न 1241 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के लिए सभी आठ विकास केन्द्रों के लिए संस्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ख) क्या प्रदेश सरकार से पौडी गढ़वाल में स्थापित किए जाने वाले केन्द्र के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो उस पर कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है; और

(घ) यदि नही, तो उसके क्या कारण है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश राज्य को आबंटित 8 विकास केन्द्रों में से सात विकास केन्द्रों को पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है । पौढ़ी गढ़वाल में शेष बचे केन्द्र के बारे में परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार से प्राप्त होने की प्रतीक्षा है । उनसे परियोजना रिपोर्ट शीघ्रता से प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया है ।

ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां

831. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक नीति में किए गए अद्यतन परिवर्तनों के अन्तर्गत विशेष रूप से ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना किए जाने पर अधिक जोर दिया गया है;

(ख) इस समय जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की दर कितनी है और इसमें प्रत्येक राज्य का प्रतिशत कितना है;

(ग) सरकार द्वारा औद्योगिक विकास दर को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन सी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जा रही है; और

(घ) क्या राज्यों से इस संबंध में सुझाव आमंत्रित किए गए है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) जी, हां । सरकार द्वारा 1991 में घोषित लघु, अति लघु और ग्रामीण उद्योगों की नीति में खादी और ग्रामोद्योगों के साथ-साथ लघु और अति लघु उद्यमों को भी मजबूत बनाने पर बल दिया गया है ताकि वे ग्रामीण औद्योगिकरण की अपनी जिम्मेदारियों को और प्रभावी ढ़ंग से पूरा कर सके । इसमें अवसंरचनात्मक विकास क्षेत्र में उचित प्रोत्साहनों और निवेश अभिकल्प की परिकल्पना भी की गयी है ताकि उद्योगों के प्रसार को विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में, बढ़ावा दिया जा सके । सरकार द्वारा दिसम्बर, 1997 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए घोषित नयी औद्योगिक नीति में भी, उस क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु,पर्याप्त रियायतें और प्रोत्साहन दिये गये है । क्षेत्रीय स्तरों के लिए आर्थिक सूचकांकों पर सूचना केन्द्रीय रूप से नही रखी जा रही है, तथापि, प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद से राज्यों में औद्योगिक से पिछड़ेपन अथवा क्षेत्रीय असंतुलनों में प्रबलता का संकेत नही मिलता है । वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान समग्र औद्योगिक वृद्धि 4.6% थी ।

नयी औद्योगिक नीति के तहत, औद्योगिक लाइसेंसीकरण हटाने से, स्थान संबंधी निर्णयों का व्यक्तिगत निवेशकों की व्यावसायिक समय पर ही छोड़ दिया गया है । ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों सहित पिछड़े क्षेत्रों में अवसंखनात्मक सुविधाओं का विकास करके वहां के औद्योगिकरण के प्रभावी ढ़ंग से संवर्धन के लिए विकास केन्द्रों की एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना मौजूद है । विकास केन्द्र योजना के दायरे में आने वाले ग्रामीण और जन-जातीय क्षेत्रों में विकसित स्थल, विद्युत, जल, दूरसंचार, प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं, सड़कें, बैंक, कच्चा माल, भंडारण और विपणन केन्द्र, सामान्य सेवा सुविधा केन्द्र और प्रौद्योगिकी सहायता सेवाओं जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन और विकास हेतु सरकार द्वारा 1994 में तैयार की गयी एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास योजना को भी क्रियान्वित किया जा रहा है ।

खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में, देश के जनजातीय क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त 2 मिलियन रोजगारों के

सृजन हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 8वीं योजना अवधि के दौरान ग्रामीण रोजगार सृजन योजना आरंभ की गयी थी । खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में जीव्यक्षम ग्रामोद्योग एककों को सहायता प्रदान करने हेतु एक सीमांत धन योजना भी आरंभ की है । इस योजना के तहत व्यक्ति विशेष के मामलों में 10 लाख रुपये तक की लागत वाले ग्रामोद्योग एककों की स्थापना हेतु 25% राजसहायता प्रदान की जाती है । जहां तक जनजातीय उद्यमियों का प्रश्न है, उसके लिए 5% अतिरिक्त सीमांत धन उपलब्ध कराया जाता है । इसके अतिरिक्त, विशिष्ट पहाडी, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने की दृष्टि से, केन्द्र सरकार द्वारा भी परिवहन राज सहायता योजना के तहत सहायता उपलब्ध करायी जा रही है ।

ये सभी कार्यक्रम और योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से पूरी की जा रही है ।

सिगरेट और शराब के उत्पादन में विदेशी निवेश

832. **श्री शिब्बू सोरेन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या यह सच है कि सरकार सिगरेट और शराब के उत्पादन में शत-प्रतिशत विदेशी निवेश हेतु छूट देने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय उद्योग संघ (सी0आई0आई0) ने इस संबंध में कोई आपत्ति की है;

(घ) यदि हां, तो की गई आपत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ड) सरकार द्वारा इन आपत्तियों के संबंध में क्या निर्णय लिये जा रहे है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) एफ0आई0पी0वी0 द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों पर विचार करने के लिए, मौजूदा मार्गनिर्देशों में, सिगरेट तथा शराब सहित उपभोक्ता गैर-टिकाऊ (कंज्यूमर नान-डयूरेबल) क्षेत्र में विदेशी इक्विटी भागीदारी की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नही है ।

(ग) जी, नही ।

(घ) और (ड) प्रश्न नही उठते ।

Sick Public Sector Undertakings

833. SHRI GURUDASDAS GUPTA:
SHRI J. CHITHARANJAN:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Govenrment have decided to close down eight sick Public Sector Undertakings; and

(b) if so, the names and other details of these companies and the steps taken to pay the statutory dues to the employees of these companies;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI SUKHBIR SINGH BADAL) : (a) and (b) Government has taken a decision to introduce a Separation Scheme by extending benefits of Voluntary Retirement Scheme (VRS) to employees of following unviable Public Sector Undertakings (PSUs) of the Department of Heavy Industry where Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR)/Disinvestment Commission have at one stage or the other reached at the conclusion that these units were nonviable and expressed prima-facie/finai view regarding winding up.

S.No.	Name of the PSU -	No. of Employees
1.	National Instruments Ltd. (NIL)	863
2.	Bharat Opthalmic Glass Ltd. (BOGL)	472